प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन (2015 की सं 29, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित विषयों पर समीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया हैं।

1. भारतीय रेल में यात्री कोचों में आग की घटनाए — अध्याय 1
2. भारतीय रेल में संरक्षा मदों का वितरण एवं उपयोग — अध्याय 2

इस प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियां 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के साथ साथ पिछले वर्षों में की गई लेखापरीक्षा के परिणामों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, पर आधारित है।